

:- आदेश :-

उपरोक्त प्रार्थियों ने मेरे समक्ष उपरिथत होकर उपरोक्त प्रकार अभिलेख दुरस्ती हेतु निवेदन किया है एवं इस दुरस्ती को करने हेतु सहमति लिखित में दी गयी है। उप तहसीलदार द्वारा भी सहमति व्यक्त की गई है। दुरस्ती वस्तुतः लिपिकीय त्रुटि सुधार की संज्ञा में आती है। अंकित इन्द्राज दुरस्ती परस्पर सहमति से किये जाने हेतु प्रार्थीगण ने प्रार्थना की है तथा अभिलेख की आधार पर भी उक्त इन्द्राज दुरस्ती राजस्व अभिलेख में होने योग्य है। निम्नलिखित इन्द्राज दुरस्ती किये जाने का आदेश दिये जाते हैं :-

पूर्व इन्द्राज				स्वीकृत किया गया नया इन्द्राज		
क्र. सं.	खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकबा	खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकबा
1	2	3	4	5	6	7
1	घीसा कुंज नन्दा जाति नाथक साठ हे खातेदार	355	0.4086	घीसालाल कुंज नन्दाराम जाति नाथक साठ हे खातेदार	355	0.4086

खाता
342

क्रमांक :- PGKCA/21/18
प्रतिलिपि पालनार्थ :-
1. उप तहसीलदार, मौलासर

शिविर प्रभारी
(अतिरिक्त प्रभारी कलेक्टर, डीडवाना)
(अति.जिला कलेक्टर, डीडवाना)
PGKCA-2021, पं.स. मौलासर
06/10/21

क्रमांक :-
प्रतिलिपि पालनार्थ :-
1. पटवार हल्का.....रसा 1797 को भेजकर लेख है कि अन्य न्यायालय का स्थगन नहीं हो तो निर्णय पालना सुनिश्चित करें।

शिविर प्रभारी
(अतिरिक्त प्रभारी कलेक्टर, डीडवाना)
(अति.जिला कलेक्टर, डीडवाना)
PGKCA-2021, पं.स. मौलासर

उप तहसीलदार, मौलासर